न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 393/2017/225 आरटीए

1. गुरजिन्द्रसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी श्यामसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. गुरविन्द्र सिंह अव्यस्क पुत्र गुरसेवकसिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़ जरिये वादपत्र व प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति सुखदीप कौर जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र चिंतनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. गुरसेवक सिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. अंग्रेजकौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. सुखपाल कौर पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. तरविन्द्र कौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. रक्षविन्द्र कौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. भगवानसिंह पुत्र निधानसिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. जीतसिंह पुत्र चिन्तनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 79/2015 अनवानी गुरविन्द्र बनाम जोगेन्द्रसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री शमशेरसिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द देवर्थ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक –25.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया कि ''अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के सगे दादा है, अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 ता 6 प्रार्थी की भुआ है। प्रार्थी की दादी श्रीमति कपूरकौर पत्नि जोगेन्द्रसिंह जो फौत हो चुकी है, के नाम चक 28

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 9/16 मे 3.795 है0 भूमि मे से 130 हिस्सा यानि 6.10 बीघा भूमि बतौर खातेदार कृषक नामान्तरित थी। कपूरकौर की मृत्यु के बाद उक्त भूमि नामान्तरण सं. 519 दिनांक 20.03.2015 को विरासतन अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। इस नामान्तरण से प्रार्थी के पिता गुरसेवक सिंह को इस भूमि मे से 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ। कपूरकौर के नाम से नामान्तरित 130 हिस्सा भूमि भूमि को श्री जोगेन्द्रसिंह ने संयुक्त परिवार के सभी सदस्यगण के संयुक्त श्रम से अर्जित आय से प्रार्थी की दादी के नाम से खरीद किया था। इस प्रकार उक्त भूमि मे जोगेन्द्रसिंह के संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहिस्सा बराबर हक निहित था। इस कारण प्रार्थी 6.10 बीघा भूमि मे अपने गुरसेवकसिंह के साथ बहिस्सा बराबर के हकदार है व इस आशय की घोषणा करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2015 को स्थगन आदेश जारी किया गया। दिनांक 05.06.2017 को पूर्व मे जारी स्थगन आदेश को ताफैसला कन्फर्म किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट के हित को सुरक्षित करना अदालत का दायित्व है लेकिन विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितो की ओर गौर न कर कानूनी भूल की है। विचारणीय न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रार्थना पत्र बिना किसी प्रकार की सूचना दिये दिनांक 05.06.2017 को पत्रावली पेशी मे लिया जाकर एकपक्षीय आदेश दिया गया है। पत्रावली बाबत किसी भी अभियान बाबत कोई नोटिस नही दिया गया तथा अपीलांट को बिना सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिसमे विचारणीय न्यायालय द्वारा कानून की अनदेखी की है। अपीलांट खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता लेकिन विचारणीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। पत्रावली अन्य अप्रार्थी के जवाब व तलबी हेतु नियत थी। पत्रावली प्राथमिक स्टेज पर थी तथा अभी पत्रावली अंतिम बहस हेतु नही पहुंची थी तथा ऐसी स्थिति मे बिना अपीलांट को सुने एकपक्षीय निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्थगन आदेश ताफैसला वादपत्र कन्फर्म करने के कारण अपीलांट के नाम कब्जा काश्त की भूमि को अपने नाम नामान्तरण नही करवा सका जबकि

अपीलांट द्वारा उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 2 ता 9 से खरीद की गई है। उक्त भूमि का नामान्तरण अपीलांट अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी/रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपनी दादी कपूरकौर के फौत होने उपरांत अपने पिता गुरसेवक सिंह के नाम दर्ज भूमि जो जरिये इन्तकाल सं. 519/20.03.15 मे राजस्व रिकार्ड मे अंकन हुआ, उसे संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद मानते हुए वादग्रस्त भूमि मे को–पार्शनर होने के नाते अपना हक हिस्सा मानते हुये वादपत्र व प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो सम्पति अपने पिता, दादा, पड़दादा से प्राप्त होती है, वह जद्दी जायदाद की श्रेणी मे आती है परन्तु अपने पिता, दादा, पड़दादा के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त भूमि उसकी स्वअर्जित सम्पति मानी जाती है तथा वादग्रस्त आराजी रेस्पो0 सं. 3 गुरसेवक सिंह को उसकी माता कपूरकौर के फौत होने उपरांत प्राप्त होने के कारण उसकी स्वअर्जित सम्पति है, जिसमे रेस्पो0 सं. 1 का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा कानूनन नही बनता है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन करते हुए अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

5. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे रेस्पो0 सं. 1 की दादी कूपरकौर के नाम से दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के पश्चात रेस्पो0 सं. 2 ता 7 के नाम विरासतन दर्ज हुई। रेस्पो0 सं. 1 जो रेस्पो0 सं. 3 का पुत्र है, ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत कर इसके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व जारी अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 के पिता गुरसेवकसिंह की माता के नाम दर्ज थी जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गुरसेवकसिंह की माता की मृत्यु होने के उपरांत विरासत मे गुरसेवकसिंह को प्राप्त हुई है तथा कानूनन माता से जो भूमि विरासतन प्राप्त होती है उसे पैतृक/जद्दी जायदाद की श्रेणी मे नही माना जा सकता है। प्रकरण मे वर्णित भूमि रेस्पो0 सं. 1 के पिता गुरसेवकसिंह की माता के नाम दर्ज थी, जो उनकी मृत्यु के बाद विरासतन रेस्पो0 सं. 2 ता 7 के नाम दर्ज हुई तथा रेस्पो0 सं. 2 ता 7 ने उक्त भूमि अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.04.2015 बैचान कर दी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण बैयनामा के आधार पर नामान्तरण अपीलांट के नाम नही हो सका। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2015 को अन्तरिम आदेश पारित किया गया है तथा अपीलांट व अन्य रेस्पो0 को पाबन्द किया गया है कि ''वह वादग्रस्त भूमि की रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे, उक्त अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला कन्फर्म किया गया है, उचित नही है एवं विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के प्रतिकूल है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधिसम्मत नही होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना उचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2017 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official